

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/276
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00268
CICOM/R/2017/00778

दिनांक: 13.09.2017

अपीलकर्ता : श्री ज्ञान प्रकाश सिंह,
पुत्र - स्व० श्री बैजनाथ सिंह,
ग्राम - धतुरी टोला, पो० - सोनकीभाट,
थाना - दोकटी, जिला - बलिया ।

निर्णय की तारीख: 13.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	16.06.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	31.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा (श्री एस. पी. बेंक 5 (4) के तहत)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	06.09.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/365/13.09.2017 (164072/12.09.2017)

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 16.06.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आयोग को प्रेषित पत्रांक P1/A/2705160206 दिनांक 27 मई 2016 पर की गई कार्यवाही से संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (श्री एस. पी. बेंक, संयुक्त सचिव से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत प्राप्त) के बिंदु सं. 2 एवं 3 के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है ।

2. श्री एस. पी. बेंक, संयुक्त सचिव (प्र०) द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 5 (4) के तहत प्रदान की गई सूचना के साथ संलग्न पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "माननीय सूचना आयुक्त के खिलाफ कार्यवाई केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है" जिसे ध्यान में रखते हुए बिंदु सं. 2 एवं 3 के संदर्भ में मांगी गई सूचना अप्रासंगिक है । अतः अपीलकर्ता को प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

प्रतिलिपि

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

राकेश

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

